

कार्यालय आदेश सं.111 / 2018

रेलवे बोर्ड के पत्र सं.ईओएन/2018/एसआर-10/44 दिनांक:-03.07.2018 एवं महाप्रबन्धक (कार्मिक) गोरखपुर के कार्यालय आदेश सं. 138, पृष्ठांकन सं. का/256/645 चिकित्सा (गोरखपुर दिनांक 04.07.2018 द्वारा डॉ0आरती दिव्या, वमंचिधि(एसजी) मंडलीय चिकित्सालय/पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक:-05.07.2018 से स्वीकृत किया गया है।


मंडल कार्मिक अधिकारी
वाराणसी

सं. का/191/राज/चि/डॉ.आरती दिव्या/पीसी

दिनांक 05.07.2018

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. सचिव, महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
2. वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
3. महाप्रबंधक(कार्मिक)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
4. मुख्य चिकित्सा निदेशक/मुख्य स्वास्थ्य निदेशक/गोरखपुर।
5. विसमुलेधि/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
6. उप मुकाधि(राज.)/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मंडल चिकित्सालय/वाराणसी लखनऊ एवं इज्जतनगर।
8. चिकित्सा निदेशक /वाराणसी।
9. मरेप्र /वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
10. अमरेप्र /वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
11. वमविप्र/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
12. वमकाधि/वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर।
13. सभी शाखाधिकारी/वाराणसी मण्डल।
14. मंडल मंत्री/नरमू एवं अजा-अजजा एसो.।
15. सम्बन्धित अधिकारी।
16. मुकार्याधी/समापक अनुभाग/वाराणसी।


कृते मण्डल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
वाराणसी